

सक्षम न्यायालय आर्बीट्रेटर एवं जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – डॉ० सौम्या झा
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 90/2025 प्रा०पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

हजारी पुत्र कजोड जाति मीना निवासी बड का पाडा तहसील लालसोट जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी एवम् उप खण्ड अधिकारी लालसोट (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 N के दिल्ली से बडोदरा का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निर्माण कार्य दौसा जिला दौसा की तहसील लालसोट की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही) जिला दौसा ।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक प० का० ई०/ दौसा/एल. ए. दौसा 87, गंगा विहार कॉलोनी होटल रावत पैलेस के पास आगरा रोड दौसा जिला दौसा

... अप्रार्थीगण

विवाद मुआवजा प्रार्थना पत्र/आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरुद्ध अवार्ड दिनांक 07-11-2022 फैसला इजलास न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली से बडोदरा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निर्माण कार्यवाही हेतु अवाप्तशुदा प्रोपर्टी कोड आईबीपी – 12 खसरा नम्बर 17 अवाप्तशुदा स्ट्रक्चर का मुआवजा पुनः निर्धारण कराये जाने बाबत।

उपस्थित— 1. श्री जितेन्द्र शर्मा (गंगावत) अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

3. श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2

निर्णय

दिनांक 18.5.2026

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 148 एन के अंतर्गत ग्राम बड का पाडा के खसरा नंबर 17 के पारित संरचना मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 छ दिल्ली से बडोदरा हेतु अवाप्ति की कार्यवाही करते हुए ग्राम बड का पाडा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 17 के संबंध में बनी संपत्ति, प्रोपर्टी कोड आईबीपी 12 के द्वारा अवाप्त की गई है। ग्राम बड का पाडा तहसील लालसोट जिला दौसा में प्रार्थी की पट्टकी भूमि खसरा नम्बर 17 को प्रोपर्टी कोड आईबीपी – 12 द्वारा अवाप्त मुआवजा राशि की सूची में क्रम संख्या 12 में प्रार्थी को कुल मुआवजा राशि 1,72,940 /—रुपये तय किया गया है जो कि राजस्व रिकॉर्ड व मौके के विपरीत है। भूमि अवाप्तशुदा भूमि के अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की संबंध में सही जांच नहीं की गई और ना ही प्रार्थी को मौके के अनुसार अवाप्त की गई संपत्ति का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी की पट्टेशुदा व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 17 में से अवाप्त की गई भूमि एवं सम्पत्ति की गणना टीनशेड छप्पर व पाटोल एवम् कच्चा निर्माण मानकर की गई है जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी की काफी वर्षों पूर्व से आबादी बसी हुई थी जिसमें प्रार्थी पक्का निर्माण कर रिहायशी तौर पर निवास कर रहा था लेकिन उसके बावजूद भी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की पट्टी शुदा कब्जे काश्त की भूमि एवं सम्पत्ति की अवाप्ति की कार्यवाही के बाद अवार्ड में प्रार्थी का सम्पूर्ण निर्माण कच्चा दिखाया गया है जबकि प्रार्थी ने पक्की पाटोल पक्का कमरे पानी टैंक, शौचालय, स्नानघर चबूतरा आदि 60 गुणा 40 फीट पक्का निर्माण

जिला कलेक्टर दौसा



अवाप्ति से पूर्व ही काफी वर्षों पूर्व से ही किया हुआ है जिसके प्रमाण के लिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रस्तुत किये हैं एवम् अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि में प्रार्थी द्वारा लगाये गये पेड़ 5 नीम 5 आम आदि जो कि लगभग 20 से 25 वर्ष पुराने पेड़ थे जिनकी भी गणना अवार्ड राशि में नहीं की गई और उसका भी मुआवजा प्रार्थी को अदा नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में जारी किया गया अवार्ड राशि का पुनः निर्धारण मौके की जांच करवाया जाकर भारत सरकार व एन एच ए आई के नियमों के अनुसार चार गुणा राशि अदा किया जाना न्यायोचित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व सक्षम प्राधिकारी एवम् उप खण्ड अधिकारी लालसोट को प्रार्थी ने कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि पुनः निर्धारण करवाया जा रहा है लेकिन आज दिनांक तक पुनः निर्धारण नहीं किया है और अवाप्तशुदा संपत्ति को तोड़ने पर आमादा हो रहे हैं जिस वजह से यह प्रार्थना पत्र पेश श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बड़ का पाड़ा तहसील लालसोट जिला दौसा में प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि खसरा नम्बर 17 में बनी संपत्ति प्रोपर्टी कोड आईबीपी - 12 द्वारा अवाप्त पाटोल पक्का कमरे पानी टैंक, शौचालय, स्नानघर, चबूतरा आदि 60 गुणा 40 फीट पक्का निर्माण व खाली ज़मीन जिस पर पेड़ लगे हुए हैं का मुआवजा भारत सरकार व एन एच ए आई के नियमों के अनुसार चार गुणा राशि बढ़ाकर तथा पेड़ों की राशि 5,00,000/- रुपये व 10,00,000/- रुपये रीहेबिलेशन मुआवजा प्रार्थी को दिया जाने की कृपा करे। जब तक पुनः निर्धारण नहीं हो जावे तब तक अप्रार्थीगण को प्रार्थी की संपत्ति में तोड़ फोड़ करने से प्रतिबन्धित किया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट के द्वारा प्रार्थी की भूमि का विधिवत अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थिया ने गलत आधारों पर अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र विधि, तथ्यों, एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही काबिले खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र निराधार, मात्र कयासात के आधार पर पेश किया है जो कि काबिले खारिज है। केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भूमि अवाप्ति हेतु अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात् राजमार्ग के प्रावधान 3 ए व 3 डी के अनुसार अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा व सरंचना, वृक्षों, निर्माण का मुआवजा हेतु अवार्ड निर्धारण किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड के मुताबिक ही मिन विपक्षी प्राधिकरण द्वारा मुआवजा राशि भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करवा दी जाती है जिसके वितरण का कार्य नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र मिन विपक्षी प्राधिकरण को मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से तथ्यों के विपरीत पेश किया है जो कि काबिले खारिज किये जाने योग्य है। दौसा जिले में ए. एच. 148एन के कि०मी० 210 से कि०मी० 236 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेड्ड शोल्डर सहित 2 - लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये अवाप्ति की कार्यवाही की गयी। प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सर्वप्रथम 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 05.09.2018 को जारी की गई जिसमें कि खसरा नम्बर 41 की अवाप्त की गई। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के स्थानीय प्रकाशन में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अर्जन की जाने वाली भूमि के हितबद्ध पक्षकार जिसका कि अवाप्त की जाने वाली भूमि में हित है। धारा 3ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 05.09.2018 को जारी की गई व जिसका प्रकाशन किया गया, में इस तथ्य का उल्लेख धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। प्रार्थिया द्वारा सक्षम


 जिला कलेक्टर, दौसा



प्राधिकारी के समक्ष समय सीमा में कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना के परीपेक्ष में जो आपत्तियां की गईं उनका धारा उसी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई जिसके आधार पर दिनांक 07.03.2019 को 3डी की जारी की गई जिसमें अवाप्त की गई भूमि की किस्म दर्ज करते हुये स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3डी के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। धारा 3जी के तहत अवाप्त शुदा भूमि पर स्थित संरचना/ निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी (7) में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण सरकार के बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3 एच के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया जाता है। उक्त मुआवजे राशि को वितरण का कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जाता है, मुआवजा राशि के वितरण में मिन विपक्षी प्राधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष से विपक्षी प्राधिकरण को कोई संबंध सरोकार नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 17 के रकबे में से भूमि एन. एच. एक्ट के प्रावधानानुसार अवाप्त की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति/संरचना आदि के संदर्भ में प्राप्त सर्वे रिपोर्ट पर अवार्ड पारित किया गया। मिन प्राधिकरण द्वारा मुताबिक अवार्ड आदेश मुआवजा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु जमा करवा दिया गया है। प्रार्थीया मिन विपक्षी प्राधिकरण से अन्य अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अवाप्तशुदा/अर्जित भूमि पर स्थित भवन, वृक्षों व फसल आदि की धनराशि (Section 29 RFCTLARR act-2013) भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये, सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान है, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि पर स्थित संरचना, सम्पत्ति, वृक्ष आदि के संदर्भ में प्राप्त सर्वे रिपोर्ट पर अवार्ड पारित किया गया। उक्त तय की गयी मुआवजा राशि मुताबिक अवार्ड आदेश सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु जमा करवा दिया गया है। प्रार्थीया मनगढन्त निराधार असत्य एवं अनुचित एवं गलत तरीके से मिन विपक्षी प्राधिकरण से मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। इसलिये प्रार्थीया मिन विपक्षी प्राधिकरण से इसके अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अवाप्त शुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं संरचना, निर्माण, वृक्ष, कुआ आदि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाता है व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी.एल.सी के आधार पर की जाती है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर सर्वे के दौरान पाये गये वृक्ष, कुआ, निर्माण आदि के मुआवजे का निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा जारी पॉलिसी गाईडलाइन के अनुसार सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बैसिक शिड्यूल आफ रेट के आधार पर किया गया है। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को जमा करवा दिया गया है। उक्त

जिला कलेक्टर, दौसा



अवाप्तशुदा भूमि पर इसके अतिरिक्त अन्य कोई वृक्ष स्थित नहीं थे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्त अधिकारी लालसोट द्वारा अपने अधिनिर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 के अनुसार अर्जित भूमि के बाजार मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण आगणित किये जाने की व्यवस्था दी गई है, जो परिसम्पत्तियाँ राजकीय भूमि में स्थित हैं, उन पर तोषण (Solatium) देय नहीं है, एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के पॉलिसी सर्कुलर (7151) **NHAI/11013/DGM(LA) 543/2017-10 APRIL 2017** में जारी पॉलिसी गाईडलाइन के अनुसार सरकारी भूमि में अवस्थित निजी संरचनाओं के मुआवजे पर तोषण देय नहीं है, इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा किया गया अधिनिर्णय उचित होने से पुष्टि किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समय सीमा में कोई आपत्ति या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त याचिका राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत नियत समय सीमा से परे प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम बडकापाडा तहसील लालसोट स्थित खसरा नम्बर 15 नया 17 में से अवाप्त भूमि में स्थित प्रार्थी की संरचना संख्या आईबीपी - 12 जिसमें छपरा, पाटोल, टिन शेड व वाटर टैंक को अवाप्त किया जाकर उक्त संरचना का कुल राशि 172940 रुपये का अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि खसरा नम्बर पुराना 15 नया 17 पट्टे की भूमि नहीं होकर निजी खातेदारी की भूमि है। अवाप्त भूमि का निजी खातेदारी के अनुसार अवार्ड पारित किया गया है तथा प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। उक्त भूमि में स्थित प्रार्थी की संरचना का कुल 172940 रुपये का अवार्ड पारित किया है जिस पर नियमानुसार 100 प्रतिशत तोषण राशि दी गई है। तोषण राशि सहित प्रार्थी की अवाप्त संरचना आईबीपी - 12 का 345880 रुपये का अवार्ड पारित किया गया है। अवाप्त संरचना में स्थित टिन शेड 12.2 गुणा 3.30 नेट राशि 30275 रुपये, टिन शेड 6.4 गुणा 3.64 नेट राशि 17518 रुपये, वाटर टैंक 3.14 गुणा 1.20 गुणा 3 नेट राशि 49172 रुपये, एक छप्पर राशि 6741 रुपये, मड - प्लेटफार्म राशि 3256 रुपये, मड प्लेट - फार्म 1738 रुपये, पाटोल 3 गह राशि 70650 रुपये आदि का मूल्यांकन किया गया है जो अधिकृत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया गया है जोकि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित है। जिसमें नियमानुसार तोषण राशि शामिल कर कुल राशि 345880/-रुपये का अवार्ड जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की अवाप्तशुदा संरचना का नियमानुसार मूल्यांकन कर अवार्ड की कार्यवाही की गई है जो सही है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा संरचना का मूल्यांकन अधिकृत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया गया है जोकि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित है। नियमानुसार मूल्यांकन किया जाकर ही अवार्ड की कार्यवाही की गई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 15 नया 17 में से अवाप्त भूमि में स्थित प्रार्थी की संरचना संख्या आईबीपी - 12 जिसमें छपरा, पाटोल, टिन शेड व वाटर टैंक का कुल राशि 172940 रुपये का तथा फलदार व छायादार पेड़ों का प्रार्थी को कुल 463432 रुपये का अवार्ड जारी किया गया है। चूंकि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा संरचना का नियमानुसार मूल्यांकन कर अवार्ड जारी किया गया है जो सही है। अवाप्त भूमि में स्थित पेड़-पौधों के अवार्ड का प्रार्थी को भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से खारिज फरमाया जावे।
7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रार्थी की पट्टेशुदा भूमि खसरा नंबर 17 को अवाप्त किया गया था एवं उसकी मुआवजा राशि 172940/-तय की गई उक्त भूमि पर प्रार्थी

जिला कलेक्टर, दौसा



द्वारा लगाये गये पेड पेड 5 नीम 5 आम आदि जो कि लगभग 20 से 25 वर्ष पुराने पेड थे जिनकी भी गणना अवार्ड राशि में नहीं की गई और उसका भी मुआवजा प्रार्थी को अदा नहीं किया गया है। एवं प्रार्थी को पूर्व में जारी किये गये अवार्ड का निर्धारण भारत सरकार व एनएचएआई के नियमानुसार 4 गुणा राशि अदा की जावे।

9. एनएचएआई द्वारा यह कथन किया गया है कि खसरा नंबर 17 में से अवाप्त की गई भूमि सरकारी है जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 3 ए की अधिसूचना में किया गया है। जहाँ तक 100 प्रतिशत तोषण/सोलेशियम आंगणित किये जाने की व्यवस्था है तो सरकारी भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों व संरचनाओं पर देय नहीं है। अवाप्त की गई भूमि का सर्वे एनएचएआई द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाकर प्रचलित बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर राशि तय की जाती है। राशि राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई उनलका धारा 3 सी के तहत आपत्तियों का निस्तारण किया गया। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात संक्षम प्राधिकारी धारा 3 डी की धारा 1 के अंतर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट ली गई जिसके आधार पर दिनांक 25.8.2021 को 3 डी की जारी की गई। जिसमें अवाप्त की गई भूमि की किस्म गै0मु0आबादी दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। चूंकि उक्त संरचना राजकीय भूमि पर बनी हुई थी जिस पर किसी प्रकार की कोई तोषण राशि देय नहीं है और मुआवजे का निर्धारण सही किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पॉलिसी सर्कुलर सं0 7.1.51 दिनांक 5.4.2017 के बिन्दु सं0 3 (सी) के प्रावधान इस प्रकार है।

(c) payment of compensation for private structure like houses & other buildings on government land:

(14) There are instances where people are granted patta/ownership rights on the land under any law of the state including abadi/assigned land. In such cases compensation would be paid for the structures only on recommendation on the CALA/state government. The procedure for valuation of such structures will be followed as mentioned in above paras.

10. भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.3.2026 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 17 में से अवाप्त भूमि में स्थित प्रार्थी की संरचना सं0 बाईबीपी 12 जिसमें छपरा, पाटोल, टीन शैड व वाटर टैंक का कुल राशि 172940/- रुपये का तथा छायादार पेडों का प्रार्थी को कुल 463432/-रुपये का अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा संरचना का नियमानुसार मूल्यांकन कर अवार्ड जारी किया गया है जो सही है। अवाप्त भूमि में स्थित पेड पौधों के अवार्ड का प्रार्थी को भुगतान किया जा चुका है।
11. मुख्य विवाद के बिन्दु संरचना के सही मुआवजे नहीं दिये जाने के संबंध में प्रार्थी के द्वारा कोई पट्टा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।
12. जहाँ तक संरचना की गणना के संबंध में प्रश्न है तो इस संबंध में मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित करवाया जाकर दिया गया है एवं प्रार्थी द्वारा इसके विरुद्ध कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मूल्यांकन गलत रूप से किया गया है।
13. भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा अपने कथन में किसी भी प्रकार का पट्टा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवार्ड की छाया प्रति के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा प्रार्थी की पट्टाशुदा संरचना न होने के उपरांत भी प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि पर 100 प्रतिशत सोलेशियम दिया गया है। मूल संरचना की राशि का अवार्ड जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा सत्यापित किया जाकर जारी किया जा चुका है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा


जिला कलेक्टर, दोसा



भूमि पर स्थित पेड पौधों का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। अब प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(डॉ० सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 18 मई, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियतसमयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।



(डॉ० सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा